न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :— श्री हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 1/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/1

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

1. जोधाराम पुत्र श्री मोगाराम जाति कलबी निवासी देवदाकागोलीया तहसील बागोडा जिला जालोर राजस्थान
2. उखरड़ाराम पुत्र श्री चतराजी
3. गंगदाराम पुत्र श्री चतराजी
4. गेनाराम पुत्र श्री चतराजी
5. चमनाराम पुत्र श्री चतराजी
6. नानजीराम पुत्र श्री चतराजी जातिगण कलबी निवासीगण देवकागोलीया तहसील बागोड़ा जिला जालोर राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बागोड़ा, जिला जालोर राजस्थान

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा के प्रकरण संख्या 224/2023</u>

उपस्थिति :—
1. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 03 मई, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा के प्रकरण संख्या 224/2023 में निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल [illegible] नही हुए।

3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपी[illegible]न अपील मीमो में [illegible] तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि सरहद मौजा देवदाकागोलीया, तहसील—बागोड़ा, जिला—जालोर में खसरा नम्बर 408 रकबा 6.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1433 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 13.1600 हैक्टेयर कृषि भूमि

खातेदार अपीलाण्ट्स अपने पूर्वजों के समय से संयुक्त रूप से शामलाती में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार मौके पर काबिज रह काश्त अपीलाण्ट्स करते थे, रहे एवम् आज भी मौके पर काबिज रह शामलाती में काश्त करते है। अपीलाण्ट्स की उक्त संयुक्त शामलाती कब्जा–काश्त की खातेदारी भूमि में किसी कदर का कोई अर्से दराज से कदीमी व बारामासी कोई सार्वजनिक रास्ता न था न रहा एवम् न ही आज भी कोई रास्ता चल रहा है जिस मौके एवम् राजस्व रेकर्ड की वास्तविक स्थिति के विपरीत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में चलाये गये प्रशासन गाँवों के संग अभियान के कैम्प बागोड़ा दौरान मौजा देवदाकागोलीया के खसरा नम्बर 423 के खातेदार किस्तुरा पुत्र नवा वगैरह की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु नया रास्ता प्रदान किये जाने हेतु ग्राम पंचायत मोरसीम, पटवार हल्का देवदाकागोलीया एवम् भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बागोड़ा से सांठ–गांठ करके विधि विरूद्ध अवैध रूप से मिलावट कर अपीलाण्ट्स अनुपस्थिति में अपीलाण्ट्स की कब्जा–काश्तसुदा संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि में से नया रास्ता सृजित किये जाने हेतु पटवारी हल्का द्वारा अवैध मौका फर्द दिनांक 23.06.2023 एवम् रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु अवैध प्रस्ताव दिनांक 23.06.2023 एवम् ग्राम पंचायत मोरसीम से सांठ–गांठ करके अवैध रूप से षड्यंत्र करते हुये नया रास्ते हेतु उक्त अवैध रूप से तैयार की गयी मौका फर्द एवम् प्रस्ताव व प्रमाण–पत्रों के आधार पर राजस्व रेकर्ड एवम् मौके की सही वास्तविक स्थिति के विपरीत रेस्पोडेण्ट द्वारा अदालत मातेहत के समक्ष विधि विरूद्ध तरीके से बिना अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि प्रभावी पक्षकार अपीलाण्ट्स को बिना पक्षकार नियोजित किये एवम् बिना अपीलाण्ट्स को प्राकृतिक न्याय की सिद्धान्तों की मंशानुसार जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस दिये एवम् अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 6.1000 हैक्टेयर में से रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1433 रकबा 0.3600 हैक्टेयर में से रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नंगर 411 रकबा 2.5000 हैक्टेयर में से रकबा 0.0400 हैक्टेयर 0.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 2.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 2.3300 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलाण्ट संख्या 02 लगाय 06 की पुश्तैनी संयुक्त शामलाती कब्जा–काश्त की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया। अपीलाण्ट्स की उक्त संयुक्त शामलाती कब्जा–काश्त की खातेदारी भूमि में किसी कदर का कोई अर्से दराज से कदीमी व बारामासी कोई सार्वजनिक रास्ता न था न रहा एवम् न ही आज भी कोई रास्ता चल रहा है जिस मौके एवम् राजस्व रेकर्ड की वास्तविक स्थिति के विपरीत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में चलाये गये प्रशासन गाँवों के संग अभियान के कैम्प बागोड़ा दौरान मौजा देवदाकागोलीया के खसरा नम्बर 423 के खातेदार किस्तुरा पुत्र नवा वगैरह की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु नया रास्ता प्रदान किये जाने हेतु ग्राम पंचायत मोरसीम, पटवार हल्का देवदाकागोलीया एवम् भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बागोड़ा से सांठ–गांठ करके विधि विरूद्ध अवैध रूप अपीलाण्ट्स अनुपस्थिति में अपीलाण्ट्स की कब्जा–काश्तसुदा संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि में से नया रास्ता सृजित किये जाने हेतु पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द दिनांक 23.06.2023 एवम् रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु अवैध प्रस्ताव दिनांक 23.06.2023 एवम् ग्राम पंचायत मोरसीम से सांठ–गांठ करके अवैध रूप से षड्यंत्र करते हुये नया रास्ते हेतु उक्त अवैध रूप से तैयार की गयी मौका फर्द एवम् प्रस्ताव व प्रमाण–पत्रों के आधार पर राजस्व रेकर्ड एवम् मौके की सही वास्तविक स्थिति के विपरीत रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:27 IST
Reason: SelfAttested

सुनवाई का नोटिस दिये एवम् अवसर प्रदान किये एवम् बिना प्रकरण दर्ज किये अदालत मातेहत द्वारा कानून की धज्जियाँ व मजाक उड़ाते हुये बिना आदेश की दिनांक अंकित करते हुये अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 6.1000 हैक्टेयर में से रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1433 रकबा 0.3600 हैक्टेयर में से रकबा 0.0050 हैक्टेयर, अपीलाण्ट्स की कब्जा–काश्तसुदा संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि मौजा देवदाकागोलीया के खसरा नम्बर 408, 412/1433, 412, 411, 419, 421 में किसी कदर का कोई बारामासी या कदीमी सार्वजनिक रास्ता या अन्य रास्ता कत्तई कभी भी न था, न रहा वो न आज भी है बल्कि अपीलाण्ट्स की सम्पूर्ण कृषि भूमि में फसलें खड़ी थी वो है जबकि पटवारी हल्का देवदाकागोलीया व भू–अभिलेख निरीक्षक बागोड़ा द्वारा दिनांक 23.06.2023 को जो मौका फर्द बनायी थी उस वक्त अपीलाण्ट्स न तो स्वंय मौके पर खातेदारी भूमि पर स्वंय मौजूद थे न ही अपीलाण्ट्स की मौजूदगी में उक्त मौका रिपोर्ट बनायी गयी। बल्कि खसरा नम्बर 423 का खातेदार किस्तुरा से रेस्पोडेण्ट सांठ–गांठ वो मिलावट कर रेस्पोडेण्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, पटवारी हल्का एवम् भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ मिलावट करके उक्त मौका फर्द रिपोर्ट बनवायी गयी थी जो कानूनन् पूर्णतः विधि विरूद्ध एवम् गलत थी वो है क्योंकि अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में किसी कदर का कोई सार्वजनिक रास्ता मौजूद नहीं था, न रहा एवम् न आज भी है एवम् न ही ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातेहत की पत्रावली पर मौजूद थी वो है एवम् न ही रेस्पोडेण्ट द्वारा अदालत मातेहत के समक्ष पेश की उसके बावजूद अदालत मातेहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ प्रस्तुत मौका फर्द वो प्रस्ताव को अहम सत्य मानते हुये एवम् बिना अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में बनाई झूठी एवम् साक्ष्य विहीन मौका फर्द को अहम सत्य मानते हुये अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि अदालत मातेहत के समक्ष रेस्पोडेण्ट की ओर से धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट 1956 वगैरह के तहत पेश किया गया है जबकि धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट में वर्णित प्रावधान में उल्लेख है कि सरकार लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर को रेकर्ड को व नक्शे को गाँवों की सीमाओं का अंकन करेंगे तथा इसके सम्बन्ध में रही त्रुटि को शुद्धिकरण करेंगे तथा नक्शाबुक में उसका इन्द्राज करेंगे परन्तु अदालत मातेहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ अपीलाण्ट्स की कब्जा–काश्तसुदा शामलाती खातेदारी भूमि में से नया रास्ता सृजित किये जाने निस्बत् आदेश जैर अपील सादिर किया है। अपीलाण्ट्स की कब्जा–काश्तसुदा खातेदारी भूमि में मौके पर न तो कदीमी रास्ता व न ही सार्वजनिक रास्ता चला आ रहा है एवम् न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातेहत की पत्रावली पर मौजूद ही थी उसके बावजूद मात्र पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की गैरकानूनी मौका फर्द जो बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित अपीलाण्ट्स की गैरमौजूदगी में बनी मौका फर्द के आधार पर अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता सृजित किये जाने निस्बत् अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:27 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/ पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की मंशा के खिलाफ सादिर किया गया क्योंकि अदालत मातेहत द्वारा अपीलाण्ट की कब्जा–काश्तसुदा भूमि में से रकबा तोड़ते हुये नया रास्ता सृजित कर उक्त अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि को रास्ते की भूमि के नये खसरा नम्बर 1904/408 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1907/412 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1901/411 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1902/411 रकबा 0.0100 हैक्टेयर,

तहत नया रास्ता प्रदान किये जाने के प्रावधान है। अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से किसी कदर का कोई बारामासी या कदीमी सार्वजनिक नही था। न ही वनमान में आज भी रास्ता चल रहा है एवम् न ही ऐसी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अदालत मातेहत की पत्रावली पर ही रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश की गयी मात्र खसरा नम्बर 423 के खातेदार किस्तुरा पुत्र श्री नवाजी को उसकी खातेदारी भूमि में नया रास्ता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 विधि विरूद्ध अपीलाण्ट्स की गैर मौजूदगी में बनाई मौका फर्द एवम् प्रस्ताव को आधार बनाते हुये अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील शून्य void ab- initio & nunest के होने से कानूनन् काबिल निरस्त योग्य है।

5. हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा जिला सांचौर के प्रकरण संख्या 224/2023 अंतर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम देवदा का गोलिया के खसरा नंबर 1748/698, 740, 748, 747, 754, 409, 408, 412/1433, 412, 411, 419, 421, 1607/1558, 253 में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश पटवारी (भू.अ.) देवदा का गोलिया द्वारा तैयार की गई मौका फर्द दिनांक 22–06–2023 तथा तहसीलदार, बागोड़ा द्वारा तैयार प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका फर्द में अपीलाण्ट अथवा कृषि भूमि के खातेदारो के हस्ताक्षर नही है तथा न ही पटवारी हल्का अथवा तहसीदार, बागोडा द्वारा संबंधित पक्षकारों को नाटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में तारीख अंकित नही की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रकरण को दर्ज करने पश्चात् संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा के प्रकरण संख्या 224/2023 में पारित आदेश को अपास्त किया जाता हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:27 IST
Reason: SelfAttested

(हरफूल सिंह यादव)
अति. संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03 मई 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति. संभागीय आयुक्त